Reg N.;20(Hq.)/87-Dated ; 15.09.87 Tel. 7325058829

कार्यालय, दि झारखण्ड स्टेट आदिवासी को–ऑपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन लि0 (वेजफेड),राँची।

चतुर्थ तल, पशुपालन भवन, सिंह मोड़, हेसाग, हटिया, राँची 834003

GSTIN. : -20AAAJT2257J1Z8 E-mail : - vegfed.ranchi@gmail.com

पत्रांक 466/वेजफेड, राँची दिनांक 05.10.2023

इच्छा की अभिव्यक्ति का आमंत्रण

विभागीय योजना 2022–23 अन्तर्गत राज्य में जैविक उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने एवं उपभोक्ताओं को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्द्धक फल–सब्जियाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभागीय योजना वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत वेजफेड, राँची द्वारा जैविक उर्वरक उत्पादन–सह–उपयोग योजना के तहत् कुल **153 इकाई ''शेड युक्त दो कतार वर्मी बेड''** का निर्माण वेजफेड से सम्बद्ध सहकारी समितियों के इच्छुक व योग्य लाभुक कृषकों के भूमि पर किया जाना है।

उक्त इकाई के निर्माण हेतु वेजफेड से सम्बद्ध इच्छुक सहकारी समितियों से इच्छा की अभिव्यक्ति का आमंत्रण किया जाता है। इच्छुक एवं योग्य समितियाँ वेजफेड कार्यालय से कार्य दिवस के दौरान अथवा विभागीय वेबसाईट http://cooperative.jharkhand.gov.in से प्रपत्र एवं नियम शर्तें प्राप्त कर उक्त विषय से संबंधित आवेदन/प्रस्ताव एवं प्रपत्र दिनांक 20.10.2023 के अपराह्न 4:00 बजे तक वेजफेड कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से कार्यावधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0/–
प्रबंध निदेशक
वेजफेड, राँची।

वर्मी बेड आवेदन हेतु विहित प्रपत्र

प्रबंध निदेशक, वेजफेड के नाम से प्रस्ताव समर्पित किए जाएंगे। आवेदक द्वारा विस्तृत विवरणी, जो नियम व शर्तों से संबंधित है वर्णित विहित प्रपत्र I-III में समस्त आवश्यक सूचनाएँ अंकित कर प्रपत्र– II (शपथ पत्र) को अनिवार्य रूप से नोटरी पब्लिक से सम्पन्न कराकर संलग्न करना होगा। प्रपत्र–IV में वित्तीय प्रस्ताव में प्रति वर्मी बेड मासिक संचालन राशि का उल्लेख करना होगा, जो सील बंद लिफाफे में समर्पित करना होगा।

आवेदकों से अनुरोध है कि **प्रपत्र–I-III में समस्त आवश्यक सूचनाएँ अंकित कर खुले रूप में (बड़े लिफाफे के अन्दर) समर्पित करना है,** जबकि प्रपत्र–IV में सूचना पूर्ण रूप से भरते हुए अनिवार्य रूप से सील बंद लिफाफे में वेजफेड कार्यालय में समर्पित करेंगे।

ह0 / –

प्रबंध निदेशक,
वेजफेड, राँची।

प्रपत्र–I

वर्मी बेड स्थापित करने हेतु आवेदन प्रपत्र (2022–23)

समिति का विवरण		
1	समिति का नाम एवं कार्यालय का पूर्ण पता	
2	निबंधन संख्या एवं वर्ष	
3	दूरभाष सं0	
4	ईमेल आई0डी0 (यदि हो)	
5	वेजफेड से सम्बद्धता संबंधी प्रमाण	
6	समिति में सदस्यों की संख्या	
7	प्रदत्त हिस्सा पूँजी	
8	पैन नं0 (यदि हो)	
9	समिति का प्रस्ताव	
10	अद्यतन निर्वाचन प्रमाण पत्र	
11	अंकेक्षण प्रतिवेदन	
12	लाभ–हानि की स्थिति	
13	कार्यशील पूँजी	
14	शपथ पत्र (Notarized)	
15	समिति द्वारा गत् 02 (दो) वर्षों में किए गए बैंक ट्रांजेक्शन का विवरण (बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करें)	

लाभुक कृषक का विवरण

क्रं.	लाभुक कृषक का नाम	पिता / पति का नाम	आधार संख्या	भूमि का विवरण	पशु का प्रकार	पशु की संख्या
				खाता संख्या ...., प्लॉट संख्या............, रकबा		
				खाता संख्या ...., प्लॉट संख्या............, रकबा		
				खाता संख्या ...., प्लॉट संख्या............, रकबा		
				खाता संख्या ...., प्लॉट संख्या............, रकबा		
				खाता संख्या ...., प्लॉट संख्या............, रकबा		

नोट :– लाभुक कृषक का भूमि संबंधी प्रमाण संलग्न करेंगे।

समिति के अध्यक्ष / सचिव / प्राधिकृत व्यक्ति
का हस्ताक्षर एवं मोहर

प्रपत्र–II

(Notarized)

शपथ–पत्र

मैं, श्री/सुश्री/श्रीमती .... पिता/पति श्री ...., ग्राम ...., पो0..................., थाना ...., जिला ...., आधार संख्या .... स्वेच्छापूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे .... समिति की ओर से यह शपथ पत्र दायर करने हेतु विधिवत् अधिकृत किया गया है (समिति के कार्यकारिणी प्रस्ताव की छायाप्रति संलग्न)।

मैं शपथ पूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि यह .... समिति/संस्था या इसके किसी भी पदधारक को किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्था के द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है तथा इस समिति के विरूद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है अथवा अपराधिक मुकदमा में कोई दण्डादेश पारित नहीं किया गया है।

जैविक उर्वरक उत्पादन–सह–उपयोग योजनान्तर्गत हमारी समिति की ओर से श्री/श्रीमती/सुश्री 1. ...., 2.., 3. ...., 4 .... तथा 5. .... का नाम अग्रसारित किया गया है, जो समिति के सदस्य हैं। इनके पास वर्मी बेड स्थापित करने हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, जिसकी विवरणी प्रपत्र–I में दी गई है तथा इनके पास गोबर की प्राप्ति हेतु .... पशु उपलब्ध है।

लाभुक कृषक जैविक उर्वरक उत्पादन–सह–उपयोग योजनान्तर्गत वर्मी बेड स्थापित करने में योजना लागत की 10 प्रतिशत राशि लगाने में सक्षम है।

उपरोक्त सभी विवरणी मेरे सूचना एवं संज्ञान में सत्य है। यदि कोई तथ्य असत्य/मिथ्या विवरणी पायी जाती है तो इसके लिए मेरे विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

नाम व पदनाम :– ....

स्थान :– ....

आवेदक का हस्ताक्षर।

प्रपत्र–III

शपथ पत्र

वर्मी बेड स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र

(कृषकों द्वारा भरा जाएगा)

1. **समिति का नाम एवं पत्राचार का पूरा पता :–**

   ....

   ....

2. **योजना का नाम :– जैविक उर्वरक उत्पादन–सह–उपयोग योजना 2022–23**
3. **किसान का नाम :– ....**
4. **पिता/पति का नाम :– ...., उम्र ....वर्ष**
5. **आधार संख्या :–** .... (छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें)
6. **किसान का पूर्ण पता :–**

   ग्राम .... पो0 .... पंचायत .... थाना .... प्रखण्ड .... जिला .... दूरभाष/मो0 ....

7. मैं ..../............................./......................................./........................... फसलों की खेती करता हूँ एवं अपने भूमि पर वर्मी बेड इकाई स्थापित कराना चाहता हूँ।
8. **वर्मी बेड इकाई स्थापित करने हेतु कुल इकाईयों की संख्या :–**
9. **वर्मी बेड स्थापित करने हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण :–**

   खाता संख्या .... प्लॉट संख्या ...., रकबा .... (भूमि संबंधी प्रमाण संलग्न करें)

10. गोबर के लिए मेरे पास दो बड़े पशु उपलब्ध हैं (उपलब्ध पशुधन के साथ रंगीन फोटो संलग्न करें)।

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ सही है। वेजफेड द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के आधार पर मुझे उपलब्ध कराए गए वर्मी बेड से जैविक खाद उत्पादन का कार्य करूँगा। दुरूपयोग प्रमाणित होने पर मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

किसान का हस्ताक्षर एवं तिथि

(संबंधित समिति के अध्यक्ष/सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षर एवं मोहर)

प्रपत्र–IV

वित्तीय प्रस्ताव (Financial Bid)

1	समिति का नाम व पूर्ण पता	:–	
2	आवेदित वर्मी बेड की संख्या	:–	
3	प्रति इकाई की दर से वार्षिक संचालन राशि	:–	

समिति के अध्यक्ष/सचिव/प्राधिकृत व्यक्ति
का हस्ताक्षर एवं मोहर

वेजफेड, राँची।

विभागीय योजना वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत वेजफेड, राँची द्वारा जैविक उर्वरक उत्पादन–सह–उपयोग योजना के तहत् ''शेड युक्त दो कतार वर्मी बेड'' के निर्माण हेतु वेजफेड से सम्बद्ध इच्छुक एवं योग्य सहकारी समितियों के चयन हेतु निम्नलिखित नियम एवं शर्तें निर्धारित की गई है :–

1. वेजफेड से सम्बद्ध सहकारी समितियाँ ही भाग ले सकते हैं।
2. वेजफेड द्वारा दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित ''इच्छा की अभिव्यक्ति'' में भाग लेने हेतु वेजफेड से सम्बद्ध इच्छुक एवं योग्य सहकारी समितियाँ वेजफेड के नाम से मो0 500/– रूपए नगद/डी0डी0 जमा कर प्रपत्र एवं नियम–शर्त वेजफेड कार्यालय से कार्य दिवस के दौरान अथवा विभागीय वेबसासईट http://cooperative.jharkhand.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।
3. शेड युक्त दो कतार वर्मी बेड से संबंधित प्रस्ताव दिनांक 20.10.2023 के अपराह्न 4:00 बजे तक वेजफेड कार्यालय में कार्यावधि में समर्पित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् समर्पित प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा।
4. उपभोक्ताओं को स्वास्थ्यवर्द्धक फल–सब्जियाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभागीय योजना वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत वेजफेड, राँची द्वारा जैविक उर्वरक उत्पादन–सह–उपयोग योजना के तहत् 153 इकाई ''शेड युक्त दो कतार वर्मी बेड'' का निर्माण वेजफेड से सम्बद्ध सहकारी समितियों के इच्छुक व योग्य लाभुक कृषकों के भूमि पर किया जाना है।
5. लाभुक कृषकों का चयन वेजफेड से सम्बद्ध सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाएगा।
6. बकाएदार/डिफॉल्टर समितियों का चयन नहीं किया जाएगा।
7. लाभुक कृषकों के पास कम–से–कम दो बड़े जानवर होना आवश्यक है ताकि गोबर की प्राप्ति हो सके। संबंधित सहकारी समितियों के पदधारियों द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं समिति के मोहर के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदन प्रस्ताव के साथ देना अनिवार्य है।
8. लाभुक कृषक जैविक उर्वरक (वर्मी कम्पोस्ट) ज्यादातर प्रयोग अपने खेतों में करेंगे तथा अधिशेष उत्पादन की स्थिति में इच्छानुसार बिक्री कर सकते हैं।
9. एक सहकारी समिति से अधिकतम 05 कृषकों का ही चयन किया जाना है। 05 से अधिक लाभुक कृषकों का नाम प्राप्त होने की स्थिति में आवेदन प्रस्ताव अमान्य समझा जाएगा।
10. निर्धारित योग्यता एवं मापदण्ड में अर्जित अंकों के आधार पर वेजफेड के व्यवसाय उप समिति–सह–निविदा समिति द्वारा योग्य सहकारी समितियों के कृषकों का चयन किया जाएगा। योग्यता एवं मापदण्ड का निर्धारण मार्किंग स्केल के आधार पर किया जाएगा।
11. इच्छुक सहकारी समितियों द्वारा विहित प्रपत्र (I, II, III) में सभी सूचनाओं के साथ प्रस्ताव समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
12. समिति को कम–से–कम विगत दो वर्ष का बैंक ट्रांजेक्शन का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

13. आवेदक समिति के पास यदि PAN एवं जी0 एस0 टी0 निबंधन से संबंधित प्रमाण उपलब्ध हो तो, आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाएगा।
14. योजना कार्यान्वित करने हेतु समिति को स्वयं मार्जिन मनी/कार्यशील पूँजी की व्यवस्था करनी होगी।
15. चूँकि शेड युक्त दो कतार वर्मी बेड योजना में कार्यशील पूँजी देने का प्रावधान नहीं है। इसलिए वेजफेड से सम्बद्ध सहकारी समितियों द्वारा वैसे लाभुक कृषकों का नाम अग्रसारित किया जाएगा, जो योजना लागत का 10 प्रतिशत अर्थात् प्रति इकाई मो0 9,340.00.00 (नौ हजार तीन सौ चालीस) रूपए की दर से राशि लगाने में सक्षम हो। उक्त राशि का चेक/डी0डी0 प्रबंध निदेशक, वेजफेड, राँची के नाम से देय होगा।
16. आवेदक समितियों के द्वारा अपने आवेदन प्रस्ताव के साथ लाभुक कृषकों का भूमि संबंधी प्रमाण अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाएगा।
17. यदि समिति के द्वारा झूठा शपथ पत्र दिया जाता है और शेड युक्त दो कतार वर्मी बेड का उपयोग कार्यशील पूँजी अथवा गोबर इत्यादि के अभाव में अच्छी तरह से नहीं हो पाता है तो समिति के अध्यक्ष/सचिव के विरूद्ध सरकारी राशि के दुरूपयोग करने के आरोप में नियमानुसार विधिसम्मत् कार्रवाई की जाएगी।
18. **एक इकाई ''शेड युक्त दो कतार वर्मी बेड'' के संचालन की बेस प्राईस मो0 1,500.00 (एक हजार पाँच सौ) रूपए प्रति वर्ष होगा। निविदा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में सफल आवेदक (अधिकतम संचालन राशि) के साथ निर्धारित नियमों एवं शर्तों के आधार पर एकरारनामा किया जाएगा।**
19. जिन समितियों को शेड युक्त दो कतार वर्मी बेड उपलब्ध कराया जाएगा, उन्हें एकरारनामा के समय एक वर्ष का संचालन राशि से संबंधित डी0डी0/चेक वेजफेड कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। ससमय जमा नहीं किए जाने की स्थिति में 18 प्रतिशत सूद सहित राशि वसूलनीय होगी।
20. शेड युक्त दो कतार वर्मी बेड के उपयोग से संबंधित त्रैमासिक प्रतिवेदन वेजफेड कार्यालय में समर्पित करने का दायित्व संबंधित लाभुक कृषकों के समितियों की होगी।
21. वेजफेड के पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा समय–समय उक्त वर्मी बेड के निरीक्षण/जाँच करने का अधिकार एवं संबंधित समिति के सभी व्यवसायिक अभिलेख, सभा बही, रोकड़ बही इत्यादि का निरीक्षण का अधिकार सुरक्षित होगा।
22. समय–समय पर वेजफेड को यथा–आवश्यक नियम एवं शर्तें लागू करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
23. बिना कारण बताए इच्छा की अभिव्यक्ति को रद्द करने का अधिकार प्रबंध निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।

ह0/–

प्रबंध निदेशक
वेजफेड, राँची।